

प्रेषक,

नवनीत सहगल  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2

लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2020

विषय-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के पत्र संख्या-376/-सामग्री क्रय अनुभाग-7/2019-20, दिनांक 22-11-2019 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 की उपधारा-3 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 को निम्नवत लागू किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

### **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020**

#### **1. प्रस्तावना**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा-11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की क्रय नीति के अनुरूप शासनादेश संख्या-1/415/18-2-2014-63(ल030)/2020, दिनांक 16-9-2014 द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति 2014 प्रख्यापित की गयी थी। उसके पश्चात क्रय संबंधी व्यवस्थाओं में हुये परिवर्तनों यथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल लागू किये जाने, जेम पोर्टल से क्रय की व्यवस्था लागू किये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा अपनी क्रय नीति में परिवर्तन किये जाने आदि के परिणामस्वरूप अनेक संशोधन अपरिहार्य हो जाने के दृष्टिगत नयी नीति निम्नवत प्रख्यापित की जाती है:-

#### **2. शासकीय क्रय में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से क्रय किये जाने हेतु आरक्षण**

2.1 प्रत्येक राजकीय विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने अधीन प्रस्तावित कुल वार्षिक क्रय (उत्पाद एवं सेवाओं को सम्मिलित करते हुए) का न्यूनतम 25 प्रतिशत लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यम के उत्पादों या सेवाओं से क्रय द्वारा आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्धारित करेंगे। शर्त यह है कि यदि 25 प्रतिशत क्रय के लिये उत्तर प्रदेश में स्थित सूक्ष्म एवं लघु इकाई उपलब्ध नहीं है अथवा 25 प्रतिशत के लक्ष्य में कमी आती है, तो देश में स्थित किसी भी सूक्ष्म एवं लघु इकाई से 25 प्रतिशत की पूर्ति की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2.1.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु निर्धारित वार्षिक क्रय के 25 प्रतिशत के कुल लक्ष्य में से विशेष उपबन्ध के अधीन वार्षिक क्रय का कुल 3 प्रतिशत महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा स्थापित उद्यमों एवं 5 प्रतिशत लक्ष्य ग्रीन प्रोक्योरमेंट के सिद्धान्त के अनुसार "पर्यावरणीय अनुकूल उद्यमों" द्वारा उत्पादित उत्पादों के क्रय/आपूर्ति हेतु निर्धारित किया जायेगा। पर्यावरणीय अनुकूल उद्यम की श्रेणी में निम्नलिखित उद्यम आयेंगे

(अ) नवकरणीय ऊर्जा एवं सह उत्पाद से ऊर्जा की पूर्ति करने वाले उद्यम जिन्हें Central Electricity Commission से Renewable Energy Certificate (REC) प्राप्त हो।

(ब) ब्यूरो आफ एनर्जी इफिशिएंसी से प्रमाणित ऊर्जा दक्ष (Energy Efficient) उद्यम।

(स) सर्कुलर इकोनामी (Circular Economy) के सिद्धान्त पर आधारित उद्यम अर्थात् किसी अन्य उद्यम के केवल अपशिष्ट का प्रयोग कर उत्पाद तैयार करने वाले तथा केवल पुनर्चक्रण कर उत्पाद तैयार करने वाले उद्यम।

(द) ऐसे उद्यम जिनका प्रदूषण भार नगण्य हो अथवा क्वालिटी कौंसिल आफ इण्डिया (QCI) द्वारा ZED (Zero Effect and Zero Defect) प्रमाणित उद्योग।

(य) ऐसे उद्यम जिनका कार्बन फुटप्रिन्ट (Zero Carbon Footprint) नगण्य हो इसमें Certified Emission Reduction Units (CERs) प्राप्त कर Carbon Offsetting करने वाले उद्यम भी सम्मिलित होंगे।

(र) ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स के अन्तर्गत Ecomark मानक के उत्पाद।

(ल) Clean Development Mechanism (CDM) प्राप्त करने वाले उद्यम।

(व) ग्रीन प्रोडक्टिविटी के सिद्धान्त के अन्तर्गत Lean Manufacturing Competitiveness Scheme (LMCS) से आच्छादित उद्यम।

2.2 इस प्रकार निर्धारित किये गये वार्षिक क्रय के 25 प्रतिशत के लक्ष्य (एवं उसके अधीन दिए गये उप-लक्ष्यों) की पूर्ति (यथावश्यक उप-लक्ष्य की सीमा तक उचित आरक्षण श्रेणी के) सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा प्रदत्त उत्पादों अथवा सेवाओं से क्रय के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

2.3 किसी राजकीय विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस उपबन्ध से विभाग अथवा उपक्रम को छूट देने का अधिकार इस नीति के अंतर्गत गठित अधिकार प्राप्त समिति को होगा।

2.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय किये गये उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति में निम्नलिखित को भी गिना जायेगा:-

2.4.1 बृहद् उद्यमों को दिए गए क्रयादेशों के सापेक्ष उनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निर्गत उप-संविदाओं के माध्यम से की गयी आपूर्ति।

2.4.2 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम संघों की उप-संविदाओं के माध्यम से की गयी आपूर्ति।

### 3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास

3.1 समस्त विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने अधीन प्रस्तावित वस्तुओं/सामग्री की आपूर्ति की क्रय योजना तैयार करेंगे तथा उसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को इसकी जानकारी सुलभ हो सके। समय-समय पर प्रस्तावित क्रय आवश्यकता संबंधी जानकारी भी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।

3.2 समस्त विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अपनी क्रय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं के साथ विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करेंगे। उक्त कार्यक्रमों में वे अपने विभाग या उपक्रम में वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित क्रय आवश्यकताओं की सूचना साझा करेंगे। अपने विभाग या उपक्रम की आपूर्ति सम्बन्धित अपेक्षाओं पर चर्चा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

करेंगे तथा अपने अधीन कार्यालयों में इन विक्रेताओं को आ रही समस्याओं का यथोचित निराकरण भी करायेंगे।

3.3 समस्त विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जेम पोर्टल पर अनुपलब्ध सामग्री की आवश्यकताओं के संबंध में, जहां क्रय प्राधिकारी द्वारा उचित या नियमानुसार आवश्यक पाया जाय, एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ 30प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) में विहित प्रक्रिया के अनुसार दर अनुबन्ध कराते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

#### **4. निविदाओं के सम्बन्ध में उपबंध -**

##### **4.1 प्राइस मैचिंग का विकल्प -**

4.1.1 यदि टेण्डर में एल-1 आफर देने वाली फर्म सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर है (अर्थात् मध्यम या बृहद् फर्म है) और किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा एल-1 आफर के मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक अधिक मूल्य अंकित किया गया है तो ऐसी दशा में उक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (या एक से अधिक ऐसे उद्यमों की दशा में 15 प्रतिशत बैंड में स्थित सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को यह अधिकार होगा कि वे अपने मूल्य को एल-1 स्तर पर लाकर कुल निविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग या उपक्रम द्वारा अनुमति दी जायेगी तथा आपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की दशा में उनसे ली जाने वाली आपूर्ति को उनके द्वारा निविदत मात्रा के आनुपातिक रूप में बांटा जायेगा।

4.1.2 टेण्डर के उपरान्त सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के पक्ष में निर्णय लेते समय गुणवत्ता के मानकों में किसी प्रकार की छूट संबंधित इकाइयों को नहीं दी जायेगी और इस आशय का उल्लेख टेण्डर में स्पष्ट रूप से अंकित भी किया जायेगा।

##### **4.2 संव्यवहार लागत में कमी-**

व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएगी:-

4.2.1 निविदा सेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

4.2.2 अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छूट दी जाएगी।

##### **5. प्रोक्योरमेंट के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण-**

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 मदों के प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था को प्रदेश सरकार द्वारा भी पूर्व में ही अपनाया जा चुका है। इस नीति के अन्तर्गत भी उक्त प्राविधान यथावत लागू रहेगा। इन मदों में संशोधन, परिवर्द्धन या अपमार्जन इस नीति के अन्तर्गत गठित अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से किया जा सकेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु आरक्षित 358 मदों में से हस्तशिल्प उत्पादों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के उद्यमियों से ही की जायेगी। आरक्षित हस्तशिल्प उत्पादों के क्रय में क्रेता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता वास्तविक रूप में उत्तर प्रदेश में उत्पादन इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। इकाई मात्र ट्रेडिंग अथवा एसेम्बली यूनिट के रूप में कार्यरत न हों।

##### **6. रिपोर्टिंग व प्रबन्धन तंत्र-**

###### **6.1 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों की रिपोर्टिंग-**

6.1.1 प्रत्येक विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम से किये जाने वाले क्रय के संबंध में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और उसके सापेक्ष अर्जित उपलब्धि की सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देंगे।

6.1.2 यदि कोई विभाग वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6.1.3 बिंदु 3.2 में वर्णित विक्रेता विकास कार्यक्रमों का विवरण भी उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट का एक पृथक अंग होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## 6.2 परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0)-

नीति के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु एक परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन स्टेट परचेज आरगनायजेशन (एस0पी0ओ0) के अधीन किया जायेगा। पी0एम0यू0 द्वारा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों, अन्य राज्यों में प्रचलित बेस्ट प्रैक्टिसेज/ईज आफ डूइंग बिजनेस का समय-समय पर अध्ययन कर क्रय नीति में यथोचित परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन हेतु सुझाव राजकीय विभागों व संस्थाओं के क्रय संबंधी विवरणों का संकलन व इस नीति अंतर्गत क्रय प्रक्रियाओं में विभागों द्वारा किये गये विचलनों के संबंध में विवरणों के संकलन तथा नीति अंतर्गत गठित समितियों द्वारा सेक्रेटेरियल असिस्टेन्स संबंधी कार्य किया जायेगा।

## 7. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना-

सरकारी प्रोक्योरमेन्ट में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की शिकायतों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ की निम्नवत स्थापना की जाती है:-

- 1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 - अध्यक्ष
- 2- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 के - सदस्य सचिव  
संबंधित योजनाधिकारी
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा नामित विभागीय - सदस्य  
अथवा एसोसिएशन का प्रतिनिधि

इस प्रकोष्ठ में शासकीय विभागों अथवा उपक्रमों द्वारा की जा रही क्रय की कार्यवाही के संबंध में कोई भी प्रक्रियात्मक दोष या नियम विरुद्ध कार्यवाही की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। इसके अन्तर्गत सरकारी विभागों अथवा उपक्रमों द्वारा क्रय प्रक्रियाओं में लगायी जाने वाली ऐसी शर्तें भी सम्मिलित होंगी, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अलाभप्रद स्थिति में रखते हैं। प्रकोष्ठ द्वारा शिकायतों का परीक्षण कर यथावश्यक संबंधित क्रयकर्ता विभाग अथवा उपक्रम को निर्देश अथवा सुझाव निर्गत किए जाएंगे।

## 8. अधिकार प्राप्त समिति-

8.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रोक्योरमेन्ट नीति के अनुश्रवण के लिए निम्नानुसार एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जायेगा-

- (1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन - अध्यक्ष
- (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग - सदस्य
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य  
अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग - सदस्य  
अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो।
- (5) संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य  
अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो।
- (6) निदेशक, एम0एस0एम0ई0विकास संस्थान, कानपुर - सदस्य
- (7) निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0 - सदस्य
- (8) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग - सदस्य सचिव

8.2 उक्तानुसार गठित समिति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत होंगे

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8.2.1 मामला दर मामला आधार पर विभागों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 25 प्रतिशत क्रय आपूर्ति के लक्ष्य एवं उसके अधीन क्रय आपूर्ति के उत्पन्न से छूट प्रदान करना।

8.2.2 विशिष्ट खरीद के लिए वर्तमान में आरक्षित 358 मदों की सूची में संशोधन, परिवर्धन या अपमार्जन करना।

8.2.3 नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में उद्योग निदेशालय में स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ की कार्यवाही का अनुश्रवण करना।

8.2.4 विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाने वाली प्रोक्योरमेन्ट को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।

8.3 उपर्युक्त समिति की बैठकें समय-समय पर यथावश्यकतानुसार आयोजित की जायेंगी।

2- इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त शासनादेश संख्या-1/415/18-2-2014-63(ल030)/2020, दिनांक 16-9-2014 द्वारा निर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति-2014 स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त नीति का समुचित चार-प्रसार कराते हुए नीति में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 4- मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रभारी, जेम सेल को जेम पोर्टल पर उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु यथावश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6- समस्त निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।
- 7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

प्रदीप कुमार

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।